

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1982/पौष 11, 1903
No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1982/PAUSA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 1 जनवरी, 1982

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का-आ० 3 (अ).—स० ई (सी) ओ, 1977/ए एम (230) : आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रवृत्त अधिकारी का प्रयोग
कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्-
द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1982 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (निर्यात) आदेश, 1977 के खण्ड "ख" अनुसूची-1 की क्रम सं० 70(14) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा —

"70(15) परिधान उत्पादों से निर्यात सभी प्रकार के वस्त्र उत्पाद भ्रष्टाचार कोटे से निर्यात मर्च जो कोटा देशों को निर्यात की जाती है और वे सभी मर्च जो कोटे से निर्यात देशों को निर्यात की जाती है"

3. निर्यात (निर्यात) आदेश 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस-3 की क्रम सं० 62 के समाने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को संशोधित कर उप-प्रविष्टि 62(क) के रूप में पढ़ा जाएगा और उसी के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि को उप प्रविष्टि 62(ख) के रूप में जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
62(ख)	परिधान उत्पादों से निर्यात सभी प्रकार के वस्त्र उत्पाद भ्रष्टाचार कोटे से निर्यात मर्च जो कोटा देशों को निर्यात की जाती है और वे सभी मर्च जो कोटे से निर्यात देशों को निर्यात की जाती है।	ख-77(15)	निर्यात की अनुमति सभी अनुमति प्राप्तियों को मूली वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा पोत परिवहन बिलों पर पृष्ठांकन करके दी जाएगी।"

[मिनिस्टर सचिवालय-2/54/81-ई1 से जारी]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य निर्यातक आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

S.O.3(E).—No. E(C)O, 1977/AM(230).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Export (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Export (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) First Amendment Order 1982.

2. In Part 'B' Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, the following shall be added after S.No.70(xiv):

"70(xv) —Textile Products, all types viz. non-quota items exported to quota countries and all items exported to non-quota countries, other than apparel products".

3. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL.3 the existing entry against S.No. 62 shall be amended to read as sub-entry 62(A) thereunder and the following shall be added as sub-entry 62(B) thereunder:—

1	2	3	4
"62(B)	Textile Products, all types viz. non-quota items exported to quota countries and all items exported to non-quota countries, other than apparel products.	B.70(xv)	Export will be allowed to all permissible destinations by endorsement on shipping bills by the Cotton Textiles Export Promotion Council".

[File. No. 2/54/81-EI]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller
Imports & Exports

